

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

॥ अधिसूचना ॥

पटना-15, दिनांक-12.03.16

संख्या-12/प0-(मू0को0) 5002/15-सा0प्र0-3826/ बिहार प्रशासनिक सेवा के मूल कोटि के निम्नांकित पदाधिकारियों को वर्तमान पद से स्थानान्तरित करते हुए उनके नाम के समक्ष स्तम्भ 4 में अंकित पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है:-

क्र0	पदाधिकारी का नाम, कोटि क्रमांक एवं गृह जिला	वर्तमान पदस्थापन	पदस्थापन का पद एवं स्थान का नाम
1	2	3	4
1	श्री रियाज अहमद खॉ, 1038/11, सारण	अनुमंडल पदाधिकारी, पटना सदर	प्रबंधक, बिहार स्टेट बिबरेजेज कॉरपोरेशन लि0, पटना
2	श्री माधव कुमार सिंह, 847/11, औरंगाबाद	वरीय उप समाहर्ता, पटना	अनुमंडल पदाधिकारी, पटना सदर

2. श्री माधव कुमार सिंह, बि0प्र0से0 को भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974) की धारा-20 के अन्तर्गत संबंधित अनुमंडल क्षेत्र के लिए कार्यपालक दंडाधिकारी की शक्तियाँ प्रदत्त की जाती है। साथ ही उन्हें संबंधित जिला में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974) की धारा-144 का प्रयोग करने हेतु भी शक्तियाँ प्रदत्त की जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
A 847.03.16
(विजय मोहन नागपटनी)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक-12/प0-(मू0को0)-5002/15-सा0प्र0-3826 /पटना, दिनांक-12.03.16

प्रतिलिपि-प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ (आई0 टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, पटना के माध्यम से)/महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, निबंधन, उत्पादन एवं मद्य निषेध विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य बिबरेजेज कॉरपोरेशन लि0, पटना/आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना/प्रधान सचिव के आप्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/प्रबंधक, आई0टी0, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाइड पर डालने हेतु/संबंधित पदाधिकारी/प्रशाखा-2, 8 एवं चारित्री कोषांग, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

A 847.03.16
सरकार के अवर सचिव